न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 01/2019 (निगरानी)

1. अब्दुल रउफ आत्मज हाजी अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान
2. मोहम्मद सलीम आत्मज श्री मोहम्मद बशीर जाति मुसलमान निवासीगण सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–निगराकार

बनाम

1. इंसाफ अली आत्मज श्री खुर्शीद अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 13 जुल्मी रोड जय सरस्वती आदर्श सी0से0 स्कूल सुकेत जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत सुकेत तहसील तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

– गैर निगराकार

निगरानी बनाराजी आदेश ग्राम पंचायत सुकेत तहसील रामगंजमण्डी दिनांक 20.6.2014 अन्तर्गत धारा 97 पंचायत एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री अंसार अहमद अभिभाषक निगराकार
2. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक गैर निगराकार

निर्णय

दिनांक 08.09.2021

1. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सुकेत द्वारा गैर निगराकर कार इंसाफ अली के नाम निर्मित मकान का पट्टा 35 गुना 78 वर्गफीट का दिनांक 20.6.2014 को जारी किया गया । उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी निगराकार द्वारा पेश की गई है ।

2. निगराकार द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पट्टा आदेश 20.06.2014 की अप्रसन्नता में दिनांक 03.05.2019 को धारा 5 लिमिटेशन प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत सुकेत में अपने मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उक्त निर्मित मकान की पैमाईस 30 गुना 68 के स्थान पर 35 गुना 78 वर्गफीट बताई गई , ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका देखे बिना पैमाईस के रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष में उसके कथन को मानते हुये पट्टाा 35 गुना 78 वर्गफीट का जारी कर दिया गया उक्त पट्टे के आधार पर जब गैर निगराकार, निगराकार के मकान की और तामीर के लिये बढने लगा तो प्रार्थी निगराकार ने ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जहां दौनों पक्षकारों से अपने अपने दस्तावेज तलब किये गयेमौके की पूर्ण जांच की गई तथा अपने पूर्ण कोरम में ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार का मकान 68 गुना 30 फीट में बना होना तथा उसे घटाया बढाया नहीं जाना माना तथा पंचायत द्वारा जो पट्टा रेस्पो0 नं0 1 के नाम जारी किया गया उसको गलत होना माना किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करने का अधिकार नहीं होने से संबंधित न्यायालय में निगरानी पेश करने को कहा गया ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार को तलब किया गया । गैर निगराकार नं0 1 की ओर से एडवोकेट श्री रामप्रसाद नागर उपस्थित हुए । गैर निगराकार नं0 2 की ओर से स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत सुकेत उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । वकील निगराकार व गैर निगराकार नं0 1 के अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील निगराकार द्वारा अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस मानने हेतु कथन किया है ।

5. वकील गैर निगराकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उपरोक्त निगरानी ग्राम पंचायत सुकेत के द्वारा अप्रार्थी इन्साफ अली के पक्ष में दिनांक 20.6.2014 को जारी 35 गुना 78 वर्गफुट में बने हुये मकान का विधिवत पट्टा बनाये जाने तथा उक्त पट्टे की दिनांक 27.10.2014 को अप्रार्थी के पक्ष में रजिस्ट्री करवा देने के भी 5 वर्ष बाद दिनांक 3.5.2019 को उक्त पट्टा निरस्त कराने हेतु उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है जो प्रकटतः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु भारतीय मियाद अधिनियम में निर्धारित 90 दिवस की अवधि से परे होने से खारिज होने योग्य है । पट्टे की विधिवत रजिस्ट्री हो जाने के बाद उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज पट्टे को केवल दीवानी न्यायालय में घोषणात्मक दावा दायर कर ही चेलेन्ज किया जा सकता है । जिला कलक्टर न्यायालय को निगरानी कार्यवाही में रजिस्टर्ड पट्टे को खारिज नहीं किया जा सकता है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर गहनता से विचार करने पर यह पाते है कि यह निगरानी विलम्ब से पेश की गई है । धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र में नकले नहीं मिलने से तथा अन्त में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.4.2019 को पट्टे की पत्रावली का रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताकर पत्र दिया गया, उक्त पत्र के आधार पर यह निगरानी पेश की गई है । निगराकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

7. यह निगरानी ग्राम पंचायत सुकेत द्वारा गैर निगराकार नं0 1 के पक्ष में दिनांक 20.4.2014 को जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है । जबकि उक्त पट्टे की रजिस्ट्री दिनांक 27.10.2014 को सरपंच एवं सचिव द्वारा गैर निगराकार इन्साफ अली के पक्ष में कराई जा चुकी है । हम गैर निगराकार नं0 1 द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों से सहमत है कि कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड होने उपरान्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है । इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.4.2014 रजिस्टर्ड होने से निगरानी स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. परिणामतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । गैर निगराकार नं0 1 इन्साफ अली के पक्ष में ग्राम पंचायत सुकेत द्वारा दिनांक 20.4.2014 को जारी पट्टा यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा